1

E Content for the student of Patliputra University

Subject - Political Science

Class - B.A. (Hons.) Part - II Paper III

Topic - Federalism in India

Dr. Umesh Chandra Singh
Associate Prof. Pol. Sc.
R.R.S. College, Mokama.

भारतीय संविधान के मूलभूत ढाँचों में संघात्मक व्यवस्था का नाम निर्विवाद रूप से लिया जा सकता है। संविधान की प्रथम अनुच्छेद में ही यह उल्लेख किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात इसकी संघात्मक स्थिति को संविधान ने स्वीकृत की है। प्रश्न है कि इसकी संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप किया है।

संघात्मक व्यवस्था के आधिकारिक विद्वान K. C. Wheare ने जहाँ अमेरिकी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था का आदर्श स्वरूप माना है वहीं भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्द्धसंघीय (Quasi Federal) कहा है। स्वीस संविधान तो स्वयं को राज्य मंडल (Confederal) स्वीकार ही करता है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि संघात्मक व्यवस्था में केन्द्र तथा राज्य दोनों ही समानता के स्तर पर आबद्ध होते हैं। वहीं राज्य मंडल (Confederal) में मूल इकाई केन्द्र की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अर्द्ध संघीय (Quasi Federal) का अर्थ है ढाँचा तो संघात्मक का होता है किन्तु वास्तविकता में केन्द्र बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का स्वरूप कुछ ऐसा ही है। इसलिए ही कहा जाता है कि Indian federal system is federal in form but unitary in spirit.

भारतीय संघात्मक व्यवस्था की पृष्ठभूमि — भारत में प्रारंभ से ही छोटे-छोटे राज्यों एवं गणराज्यों का अस्तित्व रहा है। मौर्य काल, मुगल काल तथा ब्रिटिश काल में भी बहुत बड़े

भारत का अस्तित्व कायम हुआ। मुगलों के पतनकाल में पुनः छोटे-छोटे राज्य अस्तित्व में आ गये। अंग्रेजों ने इन्हें युद्ध या संधियों के द्वारा मिला कर बड़े भारत का अस्तित्व बनाया। पुनः अंग्रेज जाते जाते देशी रियासतों को स्वतंत्रता दे दी। जिन्हें भारत ने संघ में मिलाया।

इस प्रकार छोटे-छोटे राज्यों की पहचान यहाँ बनी रही, इसके अतिरिक्त भौगोलिक पृष्ठभूमि, भाषा, धर्म, ऐतिहासिक परम्परा, सामाजिक पहचान आदि के कारण स्वतंत्र भारत को एक संघात्मक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना पड़ा।

भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था के पक्ष-विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं।

<u>संघात्मक व्यवस्था के पक्ष में तर्क</u> —

(i) भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक व्यवस्था को लिखित रूप में स्वीकार किया गया।

(ii) संघ तथा राज्यों के बीच विषयों का वितरण का प्रावधान। 97 विषय संघ सूची में, 66 विषय राज्य सूची में तथा 47 विषय समवर्ती सूची में, जिस पर दोनों सरकारों का नियंत्रण रहता है

(iii) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों के हितों की रक्षा की गारंटी का प्रावधान।

(iv) राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद के दूसरे सदन राज्य सभा का गठन का प्रावधान।

(v) लिखित संविधान भी संघात्मक व्यवस्था की एक शर्त होती है। भारतीय संविधान इस शर्त को पूरा करता है।

<u>संघात्मक व्यवस्था के विपक्ष में तर्क</u>: —

उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद भारतीय संविधान के कई प्रावधान होते हैं जो संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध या विपरीत के रूप में देखे जा सकते हैं —

(1) Union शब्द का प्रयोग — भारतीय संविधान संघ के लिए Union शब्द का प्रयोग करता है, Federation शब्द का नहीं। Union शब्द (एकात्मकता) के प्रतीक

नजदीक है। Federation शब्द संघ का सही अर्थ को आशय व्यक्त करता है।

२. विषयों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में — संघात्मकता की शर्त को पूरा करने के लिए विषयों का विभाजन केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच किया गया है, किन्तु यह विभाजन केन्द्र के पक्ष में है। वह विषय जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषय हैं, केन्द्र के पास है। 66 महत्वहीन विषय राज्य सूची में हैं तथा 47 समवर्ती सूची में रखे गये हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें का निर्णय है। किन्तु विवाद की स्थिति में केन्द्र का निर्णय प्रभावी होगा। बाद के वर्षों में कई विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में तथा समवर्ती सूची से संघ सूची में परिवर्तित होते रहे हैं। इस प्रकार विषयों के विभाजन में केन्द्र सरकार का पलड़ा भारी है।

3. राज्यपाल की भूमिका — संघात्मक व्यवस्था के अनुसार राज्यों में राज्यपाल का पद आवश्यक है किन्तु राज्यपाल की भूमिका केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि की होती है। वह राज्य के हितों से ज्यादा केन्द्र सरकार के आदेशों का पालन करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है।

4 संविधान की धारा - 356 का दुरुपयोग — भारतीय संविधान की धारा 356 का प्रयोग राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में करता है। किन्तु इस शक्ति का दुरुपयोग अधिकांशतः किया जाता है। इस स्थिति में राज्य का शासन प्रत्यक्ष रूप में केन्द्र सरकार के अधीन हो जाता है। राज्यपाल की सहायता से वह प्रशासन पर नियंत्रण रखता है।

5. राज्य सभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं — प्रायः संघात्मक व्यवस्था में संसद का द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा भारत में भी किया गया जाता है किन्तु इसके लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं किया गया है। राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में उनके प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित की गई है। यह संघात्मकता के सिद्धांत का विरुद्ध है।

6. राज्यों के नाम, सीमा परिवर्तन, राज्यों को विभाजन आदि का निर्णय केन्द्र सरकार के पास है। इसमें एकात्मता की दृष्टिकोण प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ता है।

7. मजबूत केन्द्र के पक्षधर संविधान निर्माता —

भारतीय संविधान निर्माता भी इस पक्ष में थे कि संघात्मक व्यवस्था के अन्दर केन्द्र की मजबूत स्थिति के पक्षधर थे। वे इतिहास से इस शिक्षा को आधार बना रहे थे कि जब जब केन्द्र कमजोर होते अलगाववादी शक्तियाँ प्रभावी हुई है तथा केन्द्र का विघटन हुआ है। इसलिए वे संघात्मक व्यवस्था के साथ कमजोर केन्द्र के पक्षधर नहीं थे। वे राष्ट्र की अखंडता की कीमत पर संघात्मकता की बातों को मानने के विरुद्ध थे।

भारतीय संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निर्माता अपने देश की परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर यहाँ की संघात्मक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान केन्द्रोन्मुखी संघात्मक व्यवस्था (Centre oriented federal system) की स्थापना करता है। यह स्वरूप से संघात्मक है, किन्तु इसकी आत्मा एकात्मक है।